(2)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या–177/2017–18

आदेश

(धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

राजेश्वर यादव ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

विनय पासवान वगैरह———————— द्वितीय पक्ष

PNO-6
8-8-18

10–05–2018

यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, हरिहरगंज के अप्राथमिकी संख्या–13/18 दिनांक 25.02.2018 के आधार पर धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा– बनसप्ती के खाता संख्या– 08, प्लॉट सं0– 127, रकबा– 13 डी0, जिसकी चौहद्दी उतर– हरिहर पासवान का घर, दक्षिण– बिलकेश्वर सिंह का खेत, पूरब– बिलकेश्वर सिंह का खेत, पश्चिम– पी0 सी0 सी0 सड़क से संबंधित है। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण– पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि प्रथम पक्ष के खतियानी भूमि है जो भागवत महतो के नाम से खतियान में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर सुरू से आज तक प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोग बाजबरजस्ती मकान बना चाहते हैं। उक्त भूमि से संबंधित मामला मेदिनीनगर सिविल कोर्ट में विचाराधिण है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज ने प्रथम पक्ष के पूर्वज से सादा–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

विकयनामा के आधार पर हासिल किये थे और उक्त प्लॉटों में द्वितीय पक्ष के पूर्वज मकान बनाकर अपने जीवनकाल में शांतिपूर्ण दखल– कब्जा में रहे तथा द्वितीय पक्ष के पूर्वज के मृत्यू के बाद द्वितीय पक्ष का शांति पूर्वक दखल – कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त प्लॉट में जो शेष भूमि है मकान के बाद घर – बारी के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के पूर्वज के यहाँ विपक्षी के पूर्वज काम करते थे तथा मजदूरी के एवज में उक्त भूमि को विपक्षी के पूर्वज को मकान बनाने के लिए सादा विकयनामा लिखे थे जिसके आधार पर विपक्षी के पूर्वज दखल – कब्जे में रहे तथा विपक्षी के पूर्वज के मृत्यू के बाद विपक्षी का दखल – कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का आगे कहना है कि राजेश्वर यादव के द्वारा प्रकिया के भूमि के ऊपर ओरिजनल सूट सं0– 27/2018 सिविल जज जुनियर डिविजन नं0– 1 डालटनगंज के यहाँ मुकदमा दायर किया गया है जो चल रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल सूट नं0–27/2018 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर दखल – कब्जा एवं स्वामित्व है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में पुराना एवं नया खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सादा विकय पत्र की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के द्वारा बताया गया कि विवादी भूमि से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधिन है, ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारीत करना उचित प्रतित –

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

नहीं होता है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

10/5/18

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छरपुर (पलामू)।

10/5/18

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.28 16:27:30 +05:30
Location: 192.168.238.105